

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022 / 126

संजय आत्मज श्री मोती लाल आयु 42 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बडगाँव  
तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलान्त

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।  
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 20.09.2022

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2021 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्त ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बडगाँव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 1235 रकबा 112 बीघा में से 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है । उक्त भूमि को आज से करीब 21 वर्ष पूर्व वादी ने अपने पिता के समय नोटोड कर कृषि योग्य बनाया है जिसके चारों तरफ डोल लगा रखे हैं । इस भूमि में वादी ने काफी खर्चा कर भूमि को उपजाऊ बनाया है । उक्त भूमि पर वादी ने एक मकान भी बना रखा है । संवत् 1953 से वादी के



नाम धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत नोटिस आते रहे है तथा वादी पेनल्टी आदि भी समय-समय पर जमा कराता चला आ रहा है तथा वादी का नाम लगातार पी-14 में अंकित होता आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर पिछले 21 वर्षों से अपने पिता के समय से काबिज है । इसलिए वादी नियम 20 राजस्थान भू-आवंटन नियम, 1970 के तहत वादग्रस्त आराजी का नियमन कराने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि को सिवायचक के स्थान पर वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे ।
4. नायब तहसीलदार हिण्डोली ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है ।
5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.08.2021 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।
6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलान्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने वादी अपीलान्त से जिरह का भी उल्लेख निर्णय में नहीं किया है । प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश होने बाबत भी निर्णय में उल्लेख नहीं किया । परीक्षण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा कर दिया कि वादी अपीलान्त भूमिहीन व्यक्ति है तथा नियमन हेतु भी पात्रता रखता है । भूमिहीन व्यक्ति के पक्ष में भूमि का नियमन कराये जाने का भी अधिकार सृजित है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2021 निरसत फरमाया जावे ।
7. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उमय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
8. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्त ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बडगाँव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की भूमि खसरा नम्बर 1235 रकबा 112 बीघा में से 10 बीघा कृषि भूमि स्थित है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में 10 बिस्वा गलत अंकित है । उक्त भूमि आज से करीब 21 वर्ष पूर्व वादी ने अपने पिता के समय नातोड कर कृषि योग्य भूमि बनाया है तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में अंकित नहीं होने के कारण परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम की । वादी ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा बाद बहस दिनांक 05.08.2021 को वाद वादी खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने वादी अपीलान्त से जिरह का भी उल्लेख निर्णय में नहीं किया है । प्रतिवादी की ओर से कोई

साक्ष्य पेश होने बाबत भी निर्णय में उल्लेख नहीं किया । परीक्षण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा कर दिया कि वादी अपीलान्त भूमिहीन व्यक्ति है तथा नियमन हेतु भी पात्रता रखता है । भूमिहीन व्यक्ति के पक्ष में भूमि का नियमन कराये जाने का भी अधिकार सृजित है । वादी ने बंजड भूमि को काफी खर्चा करके उपजाऊ कृषि योग्य बनाया है, कुआ खुदवाया, जमीन की रखवाली हेतु मकान भी बना रखा है । वादी का परिवार विवादित भूमि पर निर्भर करता है, ऐसी स्थिति में वादी के पक्ष में वाद निर्णित किया जाना चाहिए था । वादी कानूनी रूप से सिवायचक भूमि को अपने जीवनयापन के लिए नियमन कराना चाहता है । राजस्थान भू-आवंटन नियम के अन्तर्गत भी नियमन कराने का अधिकारी है । वादी की साक्ष्य का प्रतिवादी की ओर से कोई खण्डन नहीं किये जाने के बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1235 रकबा 112 बीघा में से जिस पर वादी ने अपना कब्जा होना बताया है वह भूमि सिवायचक दर्ज है । वादी उक्त भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज है और कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी हक घोषणा का अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2021 बहाल रखा जावे ।
10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्त द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी जो कि न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2022 को स्वीकार किया गया था । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में अपीलान्त द्वारा शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2016 की प्रमाणित प्रति, उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा जारी पत्र दिनांक 30.06.2021 की प्रमाणित प्रति, नायब तहसील दबलाना का पत्र जिसमें दिनांक पठनीय नहीं है, मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2021 की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार हिण्डोली द्वारा उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को प्रेषित पत्र की प्रमाणित प्रति, नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा तहसीलदार नैनवा को जारी पत्र दिनांक 30.12.2016 की प्रमाणित प्रति, नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.03.2017 की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार हिण्डोली के पत्र की प्रमाणित प्रति, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2016 की प्रमाणित प्रति, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.09.2016 की प्रमाणित प्रति, नायब तहसीलदार दबलाना के पत्र दिनांक 06.12.2016 की प्रमाणित प्रति, पटवार मण्डल बडगॉव की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.03.2017 की प्रमाणित, पटवार मण्डल बडगॉव की मौका दिनांक 18.07.2021 की प्रमाणित प्रति, पटवारी हल्का दुगारी की मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न है ।
11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बडगॉव की आराजी खसरा नम्बर 1235 रकबा 112 बीघा भूमि राज0 सरकार के खाते में दर्ज है । नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जारी पेनल्टी रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न है । नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जारी निर्णय दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के



निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है । नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जारी नीलामी स्वीकृति दिनांक 30 नवम्बर, 2018 की प्रमाणित प्रति एवं धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं ।

12. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है । वादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, जिससे उसे बेदखल करने हेतु धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं और नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के द्वारा उन्हें उक्त भूमि से बेदखल किया गया है ।
13. न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वादी अपीलान्ट ने राजस्व शिविर दिनांक 24.06.2016 को नियमन हेतु आवेदन किया गया जिसमें खसरा नम्बर 1235 की 112 बीघा भूमि में से 10 बीघा सिवायचक भूमि का बिन्दु संख्या 01 में वर्णन किया गया है तथा बिन्दु संख्या 02 में उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा काशत होना व मकान भी बनाया जाना अंकित किया है । पत्रावली में उपलब्ध वास्ते नियमन कुल 08 आवेदनों पर तहसील की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2016 में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 03.08.2016 के अनुसार आवेदनकर्ताओं के पिता के नाम ग्राम बांसी में कृषि भूमि स्थित होना अवगत करवाया गया है एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18.09.2016 के अनुसार उक्त समस्त प्रार्थियान का अपने पिता की भूमि में नोशनल शेयर 05 बीघा भूमि दर्शित है । पटवारी रिपोर्ट दिनांक 06.03.2017 में कम संख्या 01 पर वादी अपीलान्ट संजय द्वारा खसरा नम्बर 1235 की 10 बीघा भूमि पर सरसों की फसल किया जाना अंकित किया गया है ।
14. विद्वान् अभिभाषक वादी अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि वादी खसरा नम्बर 1235 रकबा 112 बीघा में से 10 बीघा भूमि पर पिछले 21 वर्षों से अपने पिता के समय से ही काबिज काशत है । उन्होंने ही उक्त भूमि को काबिल काशत बनाया है जिस पर वादी काबिज काशत चला आ रहा है । वादी उक्त भूमि को अपने नाम नियमन करवाने का अधिकारी है । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि वादी अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के तहत वाद पेश किया है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इसी प्रकार जब वादी अपीलान्ट राजस्थान काशतकारी अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तो वह स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्राप्त नहीं कर सकता । वादी अपीलान्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का नियमन करने बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिया जाना उचित नहीं है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में प्रश्नगत भूमि के नियमन के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने का निर्देश सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को देने हेतु कथन किया है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में इस तरह का कोई अनुतोष नहीं मांगा गया । राजस्थान भू-राजस्व, (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत सलाहकार समिति को नियमन/आवंटन का अधिकार है, उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि आवंटन

सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाता है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट, उपखण्ड अधिकारी/सलाहकार समिति के समक्ष अपना पक्ष/आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है । इस पर अंतिम निर्णय उन्हीं के स्तर से लिया जावेगा ।

15. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक तनकी के निष्कर्ष से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।
16. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.08.2021 बहाल रखा जाता है ।
17. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(मनोज कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री  
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा  
बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/126

संजय आत्मज श्री मोती लाल आयु 42 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बडगवूव तहसील  
हिण्डोली जिला बून्दी ।  
—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड  
अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्या: 51/दावा/2017

संजय आत्मज श्री मोती लाल आयु 38 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बडगवूव तहसील  
हिण्डोली जिला बून्दी ।  
—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

—प्रतिवादी

## अपील का ज्ञापन

उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे।

2. यह अपील तारीख 20.09.2022 को बहाजरी अपीलान्त की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री महेश शर्मा एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्त खारिज की जाती हैं। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2021 बहाल रखा जाता है।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 20.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर



(मनोज कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा